G.O-157/10.5.10

महत्वपूर्ण/शीर्षप्राथमिकता

संख्याःयू0ओ-49/38-4-10-500(16)/07

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः 07 मई, 2010

विषयः महामाया आवास योजनान्तर्गत इकाई लागत में वृद्धि किए जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु महामाया आवास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-1070/38-8-2008-500(16)/2007, दिनांक-22 मई, 2008 द्वारा आवासों की इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों हेतु रू0-35,000/- तथा जनपद ललितपुर, झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र हेतु रू0-38,500/- निर्धारित की गई है।

2. प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त महामाया आवास की इकाई लागत के पुनरीक्षण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत आवासों की इकाई लागत के संबंध में निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेः-

क- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों ललितपुर, झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर हेतु महामाया आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवास लागत रू0- 48,500/- निर्धारित की जाती है।

ख- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जनपदों हेतु महामाया आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवास लागत रू0- 45,000/- निर्धारित की जाती है।

ग- योजनान्तर्गत उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक-01 अप्रैल, 2010 से लागू होंगी तथा वित्तीय वर्ष-2010-2011 के लिए अवमुक्त धनराशि से स्वीकृत आवासों पर ही प्रभावी होंगी।

3. कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए योजना की शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

7.5.2010
(अनुराग यादव)
प्रभारी आयुक्त
ग्राम विकास, उ0प्र0

10/05/10.

संख्या- यू0ओ0-49/38-4-10 तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

17.5.10

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव।